न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 68/2021

अनवान : –

1. घोटादेवी पत्नी श्री हवासिंह जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :—श्री रतनसिंह धारीवाल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 07/9/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही आसन के खाता सं0 8/6 के खसरा सं0 39, 57, 173, 211, 218 कुल 23.8130है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थीया का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में छोटीदेवी पत्नी हवासिंह दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम घोटादेवी पत्नी हवासिंह है। छोटीदेवी पत्नी हवासिंह संवहन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया, प्राथीर्या के सभी दस्तावेजों में सही नाम घोटादेवी पत्नी हवासिंह दर्ज है। इस प्रकार प्रार्थीया का नाम छोटीदेवी पत्नी हवासिंह दर्ज राजस्व रिकार्ड होने के कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी का सही उपयोग–उपभोग नहीं कर पा रहा है। तथा प्रार्थी अपना सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का काननी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद अप्रार्थी ने अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य प्रार्थीया में घोटादेवी पत्नी हवासिंह द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड चित्रप्रति, राशन कार्ड, वोटर पहचान पत्र, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड, भामाशाह कार्ड प्रर्दशित करवायें।

बहस वकील प्रार्थीया सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीया का सही नाम घोटादेवी पत्नी हवासिंह है जबकि राजस्व रिकार्ड में छोटीदेवी पत्नी हवासिंह दर्ज हो गया जिससे प्रार्थीया को विभिन्न प्रकार की परेशानीयों का सामना करना पड़ता है अतः मुताबिक प्रार्थीया के दस्तावेजों व रिपॅार्ट के प्रार्थी का सही नाम घोटादेवी पत्नी हवासिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीया ने रोही आसन के खाता सं0 8/6 के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खसरा सं0 39, 57, 173, 211, 218 कुल 23.8130है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थीया का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रार्थीया का नाम छोटीदेवी पत्नी हवासिंह दर्ज है, पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का सही नाम घोटादेवी पत्नी हवासिंह है तथा तहसीलदार राजस्व भादरा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया का नाम छोटीदेवी पत्नी हवासिंह की जगह घोटादेवी पत्नी हवासिंह राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना उचित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही आसन के खाता सं0 8/6 के खसरा सं0 39, 57, 173, 211, 218 कुल 23.8130है0 कृषि भूमि जिसमें प्रार्थीया का 1/9 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में छोटीदेवी पत्नी हवासिंह की जगह प्रार्थीया का सही नाम घोटादेवी पत्नी हवासिंह दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई बकाया देय आदि छोटीदेवी पत्नी हवासिंह के नाम से हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम छोटीदेवी पत्नी हवासिंह ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 07/9/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)